महत्वपूर्ण एवं खास

पेयजल एवं निस्तारी जल समस्या के त्वरित निराकरण हेतु समिति गठित

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर पेयजल एवं निस्तारी जल के समस्या के त्वरित निराकरण हेतु समिति का गठन किया है। गठित समिति में डिप्टी कलेक्टर रोहित सिंह मोबा. नं.94060-35155, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परीक्षित चौधरी मोबा. नं. 94252-52670 एवं कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग अर्जुन लाल कुर्रे मोबा. नं.90095-11405 शामिल है। गठित समिति ग्रीष्म ऋतु में पेयजल एवं निस्तारी से संबंधित समस्याओं पर नजर रखेगी एवं प्राप्त समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रस्ताव राहत शाखा के माध्यम से कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 30 अप्रैल को

रायगढ़। कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में गत दिवस रायगढ़ जिले के समस्त विकास खण्डो में आयोजित जवाहर नवोदय चयन परीक्षा 2022 के संबंध में संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह परीक्षा आगामी 30 अप्रैल 2022 को रायगढ़ जिले के 49 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष, केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षक तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय भूपदेवपुर, रायगढ़ के प्राचार्य द्वारा दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस वर्ष सीबीएसई द्वारा परिवर्तित नियमों की जानकारी परीक्षा प्रभारी मेघराज द्वारा दी गयी। परीक्षा का समय प्रात: 11 बजे से है। सभी परीक्षार्थियों को एक घंटा पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षार्थी वेब साईड प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र की दो प्रति प्रधान पाठक से हस्ताक्षर कर परीक्षा केन्द्र पर ले जाना अनिवार्य है। जिसकी एक प्रति प्रीक्षा केन्द्रों में जमा कर ली जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा की अगोपनीय सामग्री का वितरण किया गया।

परिवहन सुविधा केन्द्र के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु 6 मई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए गए घोषणा अनुसार छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, द्वारा परिवहन सुविधा केन्द्र मार्गदर्शिका 2022 जारी किया गया है। रायगढ़ जिले में लर्निंग लाईसेंस बनाने के लिए 24 परिवहन सुविधा केन्द्र को प्राधिकृत करते हुए स्थापित किया जाना है, जिसके लिए जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़ मिनी स्टेडियम के पास रायगढ़ में इच्छुक अर्हताधारी आवेदक 200 विहित शुल्क जमा कर 6 मई 2022 शाम 5.30 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व में इसके लिए 27 अप्रैल तक आवेदन मंगाये गये थे। जिसकी तिथि में बढ़ोतरी करते हुए अब 6 मई 2022 तक निर्धारित की गयी है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए नियम एवं शर्ते जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस में संपर्क कर सकते है।

प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 29 अप्रैल को

रायगढ़। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायगढ़ में 29 अप्रैल 2022 प्रात: 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में मे.एचडीएफसी सेल्स प्रा.लि.रायगढ़ में सेल्स एक्जीक्यूटिव के लिए 4 पद तथा मे.चैतन्य इंडिया फाइनेंस प्रा.लि.इंदिरा नगर टिकरापारा रायगढ़ में कस्टमर रिलेशनशिप एक्सक्यूटिव में 30 पद, अस्टिटेंट ब्रांच मैनेजर के लिए 20 पद, ब्रांच मैनेजर में 20 पद एवं एच.आर.के लिए 5 पद रिक्त है।

रजिस्टर्ड मोबाइल सिम का उपयोग कर भांजी ने मामा के खाते से निकाले 3.53 लाख : धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार

❑ चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाई... गुम हुए सिम को ब्लाक ना कराकर पीड़ित मामा ने की थी लापरवाही

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्राड के केस में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में पीड़ित व्यक्ति की भांजी को गिरफ्तार किया गया है जो उसके मामा (पीड़ित) के बैंकिग के लिये रजिस्टर्ड मोबाइल सिम का दुरूपयोग कर UPI के माध्यम से ऑनलाइन रूपये अपने परिचितों को ट्रांसफर करती थी और बाद में उनसे रूपये ले लिया करती थी। खास बात यह है कि UPI के माध्यम से ऑनलाइन रूपये ट्रांजेक्शन करना युवती यू ट्यूब से देखकर सीखना बताती है। धोखाधड़ी के आरोप में आरोपिया को दिनांक 26.04.2022 को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा JMFC रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया।

जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग उप संभाग रायगढ में स्थल सहायक के पद पर पदस्थ वेणुधर दास वैष्णव पिता गणेश दास वैष्णव (उम्र 50 साल) निवासी बाजार पारा थाना तमनार द्वारा दिनांक 26.04.2022 को थाना चक्रधरनगर में आकर भारतीय स्टेट बैंक शाखा चक्रधरनगर के बचत बैंक खाता से दिनांक 17/08/21 से 21/10/2021 के बीच खाते से कुल रकम 3,53,776/ रूपये अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑन लाईन अनाधिकृत रूप से आहरण कर ठगी करना बताया गया।

पीड़ित वेणुधर दास वैष्णव थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जिस खाते में वेतन आता है, उस बैंक एकाउन्ट में रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर मोबाईल सेट सहित गुम हो गया था। दिनांक 22/10/2021 को जब बैंक पैसा निकालने गया तो कैशियर बताया कि उक्त बैंक खाते से दिनांक 17/08/21 से 21/10/2021 के बीच विभिन्न तारिखों में किस्तों से कुल 3,53,776/ रूपये आनलाईन अज्ञात व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से आहरण कर धोखाधडी कर ठगी किया है। थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 256/2022 धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को ऑनलाइन ठगी से अवगत कराया गया जिस पर सीएसपी योगेश कुमार पटेल द्वारा साइबर सेल, बैंक की मदद से तत्काल पीड़ित के रूपये जिन गेटवे के माध्यम से ट्रांसफर किये गये हैं, उन्हें होल्ड कराया जावे।

धोखाधड़ी की जांच में संलग्न थाना चक्रधरनगर के प्रधान आरक्षक सतीश पाठक द्वारा साइबर सेल व बैंक से सम्पर्क कर तत्काल कई गेटवे को होल्ड कराया गया तथा दिनांक 17/08/21 से 21/10/2021 के बीच जिन गेटवे के माध्यम से रूपये जिन्हें ट्रांसफर किया गया है, उनसे सम्पर्क किया गया, जिस पर जुटमिल क्षेत्र का युवक भी कुछ रूपये प्राप्त किया था जिससे हिक्मत अमली से पूछताछ करने पर तमनार की युवती द्वारा रूपये उसके खाते में ट्रांसफर करना बतायी। ततकाल प्रधान आरक्षक सतीश पाठक हमराह स्टाफ के तमनार रवाना हुये जहां पहले प्रार्थी/पीड़ित से मिलकर उसे युवती के बारे में बताये तो वह दंग रहा गया और बताया कि युवती प्रभाती बैरागी उसकी भांची है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारायुवती को हिरासत में लेकर थाना लाये जिसने अपने मेमोरंडम बयान में धोखाधड़ी का खुलासा किया गया।

आरोपिया प्रभाती बैरागी पिता गोविंद दास वैष्णव उम्र 20 वर्ष निवासी बाजार पारा तमनार थाना तमनार बताई की पिछले साल उसे उसके मामा वेणुधार दास वैष्णव का मोबाइल सिम मिला, उसने यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से यूपीआई का उपयोग कर पैसा ट्रांसफर करना सीखी जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल सिम का अपने मोबाइल सेट में उपयोग कर दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने लगी और कई बार दुकानों में बार कोड का इस्तेमाल कर शॉपिंग भी की। इस तरह वह उसके मामा को धोखे में रखकर पकड़े जाने के डर से रजिस्टर्ड सिम का उपयोग कर अपने परिचितों को रुपए भेजती और बाद में उनसे रुपए प्राप्त कर लेती थी। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई कर आरोपिया को अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जानकारी के बाद तत्काल एकाउंट पर होल्ड कराया गया है जिससे पुलिस को उम्मीद है कि कुछ रुपये बरामद हो जायेगा। सम्पूर्ण कार्रवाई में टीआई अभिनवकांत सिंह, उप निरीक्षक दिनेश बोहिदार, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, लोमस राजपूत एवं महिला आरक्षक दोरनसिया किण्डो की सराहनीय भूमिका रही है।

किशोर बालिका के शारीरिक शोषण के आरोप में 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

❑ चौकी प्रभारी रैरूमा आरोपित को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट में भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 25.04.2022 को पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में बालिका द्वारा भुनेश्वर माझी पिता सुखी राम माझी के विरूद्ध शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज करायी, आरोपी को गिरफ्तार कर रैरूमा पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.04.2022 को ADG कोर्ट घरघोड़ा आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।

चौकी रैरूमाखुर्द में बालिका रिपोर्ट दर्ज कर बतायी कि भुनेश्वर माझी से कभी-कभी आमने सामने होने पर बातचीत करती थी। माह अगस्त 2021 को घर के लोग मेट्रो अस्पताल रायगढ़ घर के सदस्यों को भर्ती कराये थे। तब सभी रायगढ़ गये थे घर में अकेली थी। दिनांक 13/08/2021 की रात खाना खाकर अपने घर में अकेली सोयी थी कि करीब 12:00 बजे रात्रि भुनेश्वर माझी जबरन दरवाजा को खोल कर घर अंदर घुस कर मना करने के बावजूद शारीरिक संबंध बनाया। उसके तीन दिन बाद भी घर आकर अकेली पाकर बलात संभोग किया। डर से अपने माता-पिता और किसी को नहीं बताई। दिनांक 04/01/2022 को तबीयत खराब होने से लैलूंगा अस्पताल में भर्ती थी जहां से भुनेश्वर माझी जबरन अपने घर ले गया और अपने घर में एक सप्ताह रखा और कहने लगा कि अपने माता-पिता के घर जायगी तो मत आना। वहां से घर आयी, गांव में माता-पिता बैठक कराये। बालिका बताई कि भुनेश्वर माझी के पास नहीं जाना चाहती, भुनेश्वर माझी जबरन बलात्कार करने से गर्भ में थी एक बच्ची को जन्म दी। बालिका के रिपोर्ट पर आरोपी भुनेश्वर माझी (19 साल) के विरूद्ध चौकी रैरूमाखुर्द थाना धरमजयगढ़ में अप.क्र. 68/2022 धारा 376 IPC 4, 6 Pocso Act का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

मुख्य मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों पर छाल पुलिस कर रही कार्यवाही

❑ वाहन चेकिंग दौरान नशे में पाया गया ट्रक चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की हुई कार्यवाही

❑ आरोपित वाहन चालक को ₹11000 का अर्थदंड के साथ काटना होगा 2 दिन का जेल

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले तथा एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडे के मार्गदर्शन पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने थाना प्रभारी छाल निरीक्षक जितेंद्र एसैया द्वारा प्रतिदिन मुख्य मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी करने वाले चालकों को समझाइश दिया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 283 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही भी किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 26/04/2022 के शाम थाना प्रभारी जितेंद्र एसैया पेट्रोलिंग कर यातायात व्यवस्था बनाने वाहन चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान धूल चौक के पास बीच सड़क पर ट्रेलर क्रं CG 10 R 1905 का चालक हीरा सिंह पिता अंजोर सिह उम्र 26 वर्ष सा0 बांधाखार थाना दीपका जिला कोरबा बीच रोड में अपनी वाहन को खडी कर देने पर आने जाने वाले वाहनो एवं राहगिरो को बाधा उत्पन्न हो रहा था। थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक पर धारा 283 IPC के तहत कार्रवाही कर आज प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया वाहन चालक को न्यायालय द्वारा अर्थदंड से दंडित किया गया।

वहीं चंद्रशेखरपुर ऐडू चौक के पास थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को सड़क के किनारे खाली स्थान देखकर वाहन पार्किंग करने की चेतावनी दी गई। इसी दौरान ट्रक क्रमांक सीजी 04 जे.ए.- 0162 का चालक शराब के नशे में होना प्रतीत हुआ जिसका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से स्वांस लेकर जांच किया गया जो शराब सेवन करते हुए वाहन चलना पाए जाने पर थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक को वाहन समेत थाना लेकर आए। वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया। वाहन चालक सुरेश कुमार उइके पिता चौथराम उइके उम्र 29 वर्ष निवासी पुनगा थाना खडगवा जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) अत्यधिक शराब के नशे में वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर आज दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा ड्राइवर के कृत्य पर ₹11,000 फाइन कर उसे दो दिवस कारावास की दंड से दंडित किया गया है जिस पर छाल पुलिस द्वारा आरोपित वाहन चालक को जेल दाखिल किया गया है।

जूटमिल से टाटा एस एक्सल वाहन चोरी कर ओड़िसा में बेचने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

❑ आरोपियों से घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी वाहन जब्त, जूटमिल पुलिस की कार्यवाई

❑ चोरी की वाहन खरीदने वाले को भी बनाया गया आरोपी

रायगढ़। जूटमिल टीआई उत्तम साहू द्वारा सक्रिय सूचनातंत्र से जूटमिल क्षेत्र से चोरी गये छोटा हाथी वाहन (टाटा एस एक्सल) को चोरी कर ओडिशा में खपाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है , आरोपियों द्वारा जिस व्यक्ति के पास वाहन बिक्री किया गया था उसे भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है जिसकी गिरफ्तारी के लिये दबिश दिया गया जो फरार है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 23/03/2022 को पुलिस चौकी जूटमिल में मेनका भारद्वाज पति महाबीर भारद्वाज उम्र 37 साल निवासी सहदेवपाली टिकरापारा चौकी जूटमिल रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2019 में टाटा एस एक्सल(छोटा हाथी) वाहन जिसका रजिस्टेशन नम्बर सीजी ए.एच. 0284 को स्वयं के नाम से खरीदी थी। हमेशा की तरह घर से कुछ दुरी पर वाहन खड़ी थी जिसे दिनांक 22.03.2022 के रात करीब 09.30 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। चौकी जूटमिल में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 546/2022 धारा 379 IPC दर्ज कर विवेचना में लिया गया। चौकी प्रभारी जूटमिल द्वारा मुखबिर एवं स्टाफ को पूर्व में चोरी में संलिप्त आरोपियों के साथ संदिग्ध लोगों पर निगाह रखकर माल मुल्जिम पतासाजी का निर्देश दिया गया था। प्रार्थिया/रिपोर्टकर्ता द्वारा अपने पूर्व ड्राइवर खेमचंद निषाद के ऊपर शंका जाहिर की थी। जिस पर चौकी प्रभारी टीआई उत्तम साहू द्वारा घटना के समय संदेही के गतिविधियों की जांच किया गया जो संदिग्ध पाया गया जिस पर पूर्व ड्राइवर/संदेही खेमचंद निषाद का पता किया गया जो बरगढ़ नया खोली उड़ीसा में मिला जिसे अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपने साथी शंकर यादव के साथ वाहन चोरी करने उड़ीसा से रायगढ़ दोनों टाटा एस छोटा हाथी वाहन OD 08-C-9879 आए और वाहन की चोरी कर वाहन को बरगढ़ के छोटू खान के पास ₹30,000 में बिक्री करना बताएं। आरोपियों के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त टाटा एस छोटा हाथी वाहन OD 08-C-9879 को जप्त किया गया है। आरोपियों से चोरी की वाहन खरीदने वाले छोटू खान निवासी बरगढ़ का पतासाजी किया गया जो फरार है। गिरफ्तार आरोपी 1- खेमचंद निषाद पिता सुरेश निषाद उम्र 24 वर्ष निवासी नया खोली बरगढ़ थाना टाउन बरगढ़ जिला बरगढ़ (उड़ीसा) 2- शंकर यादव उर्फ भोलू पिता राजू यादव उम्र 21 वर्ष निवासी अन्नपूर्णा पैलेस के सामने बरगढ़ थाना टाउन बरगढ़ (उड़ीसा) को आज दिनांक 27.04.2022 को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट रायगढ़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

शा.उ.मा.विद्यालय महापल्ली में 59 छात्राओं को वितरण हुआ सायकिल

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती सायकिल योजना के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महापल्ली विकासखण्ड रायगढ़ में आज कक्षा नवमीं की 59 छात्राओं को नि:शुल्क सायकिल वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनपद सदस्य अशोक निषाद, ग्राम पंचायत महापल्ली के सरपंच अनंत राम चौहान, शाला विकास व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गौरहरी सिदार एवं विद्यालय के प्राचार्य एम.ए.सिद्दीकी व विद्यालय स्टॉप उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के स्काउट गाइड इकाई से भारत स्काउट एवं गाइड्स राज्य मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन एवं साहसिक गतिविधि शिविर पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश)में विद्यालय से सम्मिलित 4 छात्र-छात्राएं जो कि शिविर में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सम्मिलित होकर शिविर के विभिन्न गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु उनको विद्यालय में स्काउट एवं गाइड इकाई की ओर से प्राप्त प्रमाण पत्रों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने बच्चों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किये। साथ ही स्काउट में पुरस्कृत सभी बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस: लगभग 6 लाख बच्चों को खिलायी जाएगी कृमिनाशक गोली

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 5 से 10 मई 2022 तक किया जाएगा। जिसमें जिले के 5 लाख 98 हजार 40 बच्चों को कृमिनाशक की दवा खिलाई जाएगी।

जिला नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कृमि संक्रमण विभिन्न कारणों से होता है शौचालय का उपयोग नहीं करना, नंगे पाँव चलना, शौच के बाद तथा खाने के पूर्व अच्छी तरह से हाथ न धोना, फल-सब्जी को बिना धोये खाना, खाना को बिना ढँके रखना, नाखून बड़ा होना आदि के माध्यमों से कृमि के अण्डे हमारे हाथों पहुँचकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम जो भी भोजन करते हैं उसकी पौष्टिकता को कृमि शोषित कर लेता है। जिससे बच्चों में कुपोषण, बार-बार बीमार पडऩा, खून की कमी, थकान महसूस करना, बौद्धिक क्षमता में कमी, मानसिक एवं शारीरिक विकास कम होना, एनिमिया आदि के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिले के 1-19 वर्ष के लक्षित बच्चों को कृमि मुक्त करने हेतु जिले के समस्त बच्चों को समुदाय स्तर पर एवं गृह भेंटकर मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को कृमिनाशक गोली (एलवेण्डा जॉल) खिलाई जाएगी। डॉ.कुलवेदी, ने बताया कि 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली और 2 से 3 वर्ष के बच्चों को 1 गोली चुरा कर (पिस कर)पानी के साथ सेवन करायी जाएगी। 3 से 19 वर्ष के बच्चों को एक गोली चबाकर पानी के साथ सेवन करना है कृमिनाशक गोली के सेवन से स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर सुधार एनिमिया की रोकथाम से बौद्धिक विकास तथा शालाओं में बच्चों की उपस्थिति में सतत सुधार हो सकेगी।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु डॉ.भावना महलवार जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं समस्त स्वयं सेवी संस्थानों को इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की गई।

प्राकृतिक खेती स्वस्थ एवं सुखी जीवन का आधार-सांसद गोमती साय

❑ सांसद साय ने जिले के 15 विभिन्न कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

रायगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांसद गोमती साय के मुख्य आतिथ्य में कृषि विज्ञान केन्द्र रायगढ़ परिसर में प्राकृतिक खेती पर आधारित एक दिवसीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद साय ने कृषि विज्ञान केन्द्र प्रांगण में उन्नत किसानों द्वारा लगाये गए उत्कृष्ट कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कृषकों की प्रशंसा की।

कृषि विज्ञान केन्द्र रायगढ़ परिसर में कृषि विज्ञान केन्द्र रायगढ़, उप-संचालक (आत्मा परियोजना) एवं उद्यानिकी विभाग रायगढ़ के संयुक्त तत्वधान में आयोजित कार्यक्रम में 300 से अधिक किसान उपस्थित रहे। साय ने कृषकों को मार्गदर्शन देते हुए कहा की किसान ही धरती का असली अन्नदाता है एवं उसी के मेहनत से हम सब फल फुल रहे है। देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित में अनेक योजनायें ला रहे है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा की किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्र में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण, प्रयोग एवं अनुसंधान कार्यो के परिणामों के अनुसार ही खेती करनी चाहिये एवं वैज्ञानिक के दिशा-निर्देश में कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए। उन्होंने रायगढ़ के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा की किसानों की आमदनी बढऩे में कृषि वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है।

सांसद साय ने जिले के 15 विभिन्न कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ.ए.के.सिंह ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख इजी. श्री आर.के.स्वर्णकार ने कृषि विज्ञान केन्द्र रायगढ़ की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा की केंद्र के वैज्ञानिकों के प्रयास से विभिन्न किसान संगठन, स्व-सहायता समूह एवं गोठान समितियों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती एवं समन्वित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन केन्द्र के मृदा वैज्ञानिक डॉ.के.डी.महंत ने किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान के समस्त वैज्ञानिक डॉ.मनीषा चौधरी, डॉ.के.के.पैकरा,डॉ.के.डी.महंत,डॉ. एन.सी.बंजारा, डॉ.सी.पी.एस. सोलंकी, डॉ.एन.के.पटेल, इजी.श्री आशुतोष सिंह एवं कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ के समस्त वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी उद्बोधन दिया गया। साथ ही कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन विभाग, पशु विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग तथा आकाशवाणी के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं प्रगतिशील महिला कृषक उर्मिला सिदार, राज्य स्तरीय पुरुष्कृत कृषक मुकेश चौधरी, दादूराम चंद्रा, सीताराम पटेल ने अपनी सफलता की कहानी प्रस्तुत की। उपस्थित कृषक समुदाय को कृषि तकनीक बुलेटिन एवं साहित्य वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के सफलता में विकास महंत, ज्ञानेंद्र चंद्रा, सुकलाल, उषा बरेठ, सुनैना कुरुवंशी का विशेष योगदान रहा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480